



**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
RAILWAY BOARD**

**RBE No. 24/2015**

No.E(MPP)2013/3/18

New Delhi,

dated: 20-03-2015

The General Managers,  
Central Railway/Mumbai.  
Eastern Railway/Kolkata.  
East Coast Railway/Bhubaneswar.  
North Central Railway/Allahabad  
Northeast Frontier Railway/Guwahati  
Southern Railway/Chennai  
South Western Railway, Hubli  
West Central Railway/Jabalpur

The Director General  
RDSO/Lucknow

Sub: Monetary incentive in the form of Training Allowance to faculty members of  
9 Training Centres for Group 'C' & 'D' staff.

Sanction of Ministry of Railways is hereby communicated for grant of training allowance@15% to the faculty members, both gazetted and non-gazetted drawn from the field for the purpose of imparting training in following nine training centres, which were approved vide this office letter of even number dated 14.10.2013:

S.No.	Railway	Name of Training Centre
1.	SR	Multi Disciplinary Training Centre, Palghat
2.	NFR	Multi Disciplinary Training Centre, Rangia
3.	ECoR	Multi Disciplinary Training Centre, Vishakhapatnam
4.	SWR	Multi Disciplinary Training Centre, Dharwad
5.	ER	RPF Training Centre, Kanchrapara
6.	NCR	Diesel Training Centre, Jhansi
7.	WCR	Welding Training Centre, Bhopal
8.	CR	RPF Training Centre, Nasik
9.	RDSO	Geo Technical Training Centre, Lucknow

2. The Head of the Training Centre would be eligible for grant of training allowance only if the post is held by him/her on full time basis and the selection is held in the manner as detailed in para 4(g) below.

3. With a view to enable the Principals of these training centres to give due attention to training and to exercise proper supervision, it is necessary that these Principals should be posted full time, with office in the training centre itself.

Contd.../

4. The following guidelines should be observed while allowing 15% training allowance:
  - a. Faculty members, both gazetted and non-gazetted, who are drawn from the field and whose duty is to impart training/education to the trainees may be granted 'Training Allowance' at the rate of 15% of the basic pay in the revised scales of pay.
  - b. Consequent to the grant of Training Allowance, as mentioned in para (a) above, the existing training allowance, if any, special pay, deputation pay and allowances thereon will not be admissible to the faculty members posted to these training centres.
  - c. Faculty means "An employee" of the Government who joins a training institute meant for training government officials as a faculty member and whose work is to impart training/teaching. This will also include the principals of these training institutes. However, faculty members recruited directly and specifically for the training institutions are not eligible for this 'Training Allowance'.
  - d. Staff, whether drawn from the field or transferred or locally recruited, who are not directly engaged in imparting training/education will not be eligible for the 'Training Allowance'.
  - e. Training Allowance will be admissible to the faculty members without any ceiling and will not form the part of pay as defined in FR(9)(21)(2003)(21)-R-II, but however, will count for purpose of leave salary.
  - f. Tenure period of faculty members shall not exceed eight years in any case and under any circumstances.
  - g. The admissibility of the allowance in each individual case will be examined by a Committee at appropriate level to be constituted as per Board's letter No.E(MPP)2001/19/3-Recommendation No.37 dated 29.6.2001 (RBE No.127/2001). These committees would adopt a strict selection process to find excellent trainers for such appointments. The guidelines for such selection should not only take into account the outstanding service records but also good training capability and aptitude for the job. Regard should also be given for participation in trainers training course, keenness of interest taken by the officials in providing requisite training to their subordinates in the various jobs held by them and to their performance in their earliest assignment, if any, in posts relating to training. The instructions should be read with Board's letter No.E(MPP)99/19/1/Pt. dated 11.3.2003 (RBE No.49/2003). It should be ensured that before the training centre/institute and trainers are sanctioned this allowance, they must satisfy the above guidelines. The trainers not recommended by the Committee should be repatriated to their respective parent cadres. Adhoc appointees will not be allowed this Training Allowance till they are regularized.
5. These orders will take effect from the date of issue of this letter
6. It is clarified that until such time the screening is done and the faculty members not found fit are repatriated to their respective parent cadres, such persons who have worked as faculty members may be allowed training allowance till the date of reversion.
7. It is further clarified that Railways have no authority to start a training institute/centre without Board's prior approval.
8. This has the sanction of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

  
(Anuradha Singh)  
Director (MPP)  
Railway Board.

Contd.../

No.E(MPP)2013/3/18

New Delhi,

dated:20-03-2015

Copy forwarded for information to:

1. Dy.Comptroller and Auditor General of India(Railways)/New Delhi. (40 spares)
2. FA&CAOs, Central, Eastern, ECoR, NCR, NFR, Southern, SWR and West Central Railways.
3. Exec.Director (Finance), RDSO/Lucknow.

For Financial Commissioner/Railways

No.E(MPP)2013/3/18

New Delhi,

dated:20-03-2015

Copy for information to:

1. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi. (35 spares)
2. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi. (35 spares)
3. The Secretary General, FROA, R.No.256A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares)
4. The Secretary General, IRPOF, R.No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares)
5. All Members, Departmental Council & National Council and Secretary Staff side National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi. (90 spares)
6. The General Secretary, All Indian RPF Association, Room No.256, Rail Bhawan, New Delhi. (5 spares)

For Secretary/Railway Board.

Copy to:

- i. PS & ED(PG) to MR & MOS(R)
- ii. PSO/Sr.PPS to CRB, FC, ML, ME, MM, MS, MT, DG(RHS) & DG(RPF)
- iii. Sr.PPS/PPS/PS to AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml.), AM(Elect), AM(Fin), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Staff), AM(RS), AM(T&C), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), Adv.L(RS), Adv(Vig.), Adv.Fin(Exp), Adv(IR), Adv(Safety), LA, OSD(MIS).
- iv. ED(Plg.), ED(Accts.), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg.), ED(CHG), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDE, ED(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF, EDF€, EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(T&MPP), EDME(Chg.), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev.), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(PP), ED(Project), ED(Project)/DMRC, EDRE, ED(Safety), JS, JS(C), JS€, JS(P), IG./RPF(Hqs), IG/RS, ED(S9g.), ED(Stat&Econ.), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTT(M), EDT(MC), EDT(P), ED(T&C), EDCE(P), ED(PM), ED(PG), EDTC-I, EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM), EDTT(S), EDV(A), EDVE, EDV(T), ED(W).
- v. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
- vi. E(Trg.), E(NG)I, E(NG)II, E(G), F(E)I, F(E)II, F(E)III, E(SCT)I, E(SCT)II branches of Railway Board.

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एमपीपी)२०१३/३/१८

नई दिल्ली, दिनांक २०-०३-२०१५

महाप्रबंधक,  
मध्य रेलवे/मुंबई,  
पूर्व रेलवे/कोलकाता,  
पूर्व तट रेलवे/भुवनेश्वर,  
उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद,  
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/गुवाहाटी,  
दक्षिण रेलवे/चेन्नै,  
दक्षिण पश्चिम रेलवे/हबली,  
पश्चिम मध्य रेलवे/जबलपुर.

महानिदेशक  
अ. अ. एवं मा. सं.  
लखनऊ


विषय : ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों के लिए ९ प्रशिक्षण केन्द्रों के फैकल्टी सदस्यों को प्रशिक्षण भत्ता के रूप में मौद्रिक प्रोत्साहन देना।

निम्नलिखित नौ प्रशिक्षण केन्द्रों जिन्हें इस कार्यालय के दिनांक १४.१०.२०१३ के समसंख्यक पत्र के तहत अनुमोदित किया गया था, में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से फील्ड से लिये गए राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों फैकल्टी सदस्यों को १५% की दर से प्रशिक्षण भत्ता, देने के लिए एतद्वारा रेल मंत्रालय की स्वीकृति संसूचित की जाती है:

क्र. सं.	रेलवे	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम
१.	दक्षिण रेलवे	मल्टी डिप्लोमनरी ट्रेनिंग केन्द्र, पालघाट
२.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	मल्टी डिप्लोमनरी ट्रेनिंग केन्द्र, रंगिया
३.	पूर्व तट रेलवे	मल्टी डिप्लोमनरी ट्रेनिंग केन्द्र, विशाखापत्तनम
४.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	मल्टी डिप्लोमनरी ट्रेनिंग केन्द्र, धारवाड़
५.	पूर्व रेलवे	रे. सु. ब. प्रशिक्षण केन्द्र, कांचरापाड़ा
६.	उत्तर मध्य रेलवे	डीजल प्रशिक्षण केन्द्र, झांसी
७.	उत्तर मध्य रेलवे	वेल्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
८.	मध्य रेलवे	रे. सु. ब. प्रशिक्षण केन्द्र, नासिक
९.	अ. अ. एवं मा. सं.	भू-तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ

- प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधान, प्रशिक्षण भत्ता दिए जाने के लिए तभी पात्र होंगे जब वह पूर्णकालिक आधार पर उस पद पर हों और चयन नीचे पैरा ४(छ) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार किया गया हो।
- इन प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्य प्रशिक्षण पर समुचित ध्यान दे सकें और समुचित पर्यवेक्षण कर सकें, इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन प्रधानाचार्यों को पूर्णकालिक आधार पर तैनात किया जाना चाहिए और उनका कार्यकाल प्रशिक्षण केन्द्र में ही होना चाहिए।
- १५% प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने की अनुमति देते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:
  - राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों फैकल्टी सदस्य, जिन्हें फील्ड से लिया जाता है और जिनकी इयूटी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण/शिक्षण देना है, उन्हें संशोधित वेतनमान में मूल वेतन के १५% की दर से 'प्रशिक्षण भत्ता' दिया जाए।

- ख. ऊपर पैरा (क) में यथा उल्लिखित प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के परिणामस्वरूप, इन प्रशिक्षण केन्द्रों में तैनात किए गए फैकल्टी सदस्यों के लिए मौजूदा प्रशिक्षण भत्ता, यदि कोई हो, विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन और उन पर देय भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।
- ग. फैकल्टी का अर्थ है सरकार का वह "कर्मचारी" जो फैकल्टी सदस्य के रूप में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किसी प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्त होते हैं और जिसका कार्य प्रशिक्षण/शिक्षण देना होता है। इसमें इन प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य भी शामिल होंगे। बहरहाल, सीधे और विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण संस्थानों के लिए नियुक्त फैकल्टी सदस्य यह 'प्रशिक्षण भत्ता' पाने के लिए पात्र नहीं हैं।
- घ. ऐसे कर्मचारी, चाहे उन्हें फील्ड से लिया गया हो अथवा स्थानांतरित किया गया हो अथवा स्थानीय तौर पर भर्ती किया गया हो, जो प्रशिक्षण/शिक्षण देने में प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त नहीं किए गए हैं, 'प्रशिक्षण भत्ता' पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ड. फैकल्टी सदस्यों को बिना किसी अधिकतम सीमा के प्रशिक्षण भत्ता देय होगा और यह एफआर(9)(21)2003(21)-आर-॥ में यथा परिभाषित वेतन का भाग स्पष्ट किया गया है, वह वेतन का हिस्सा नहीं होगा, परन्तु इसके बावजूद उसकी छुट्टी वेतन के लिए गणना की जाएगी।
- च. फैकल्टी सदस्यों का कार्यकाल किसी भी मामले और किसी भी परिस्थिति में आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- छ. प्रत्येक अलग-अलग मामले में भत्ते की स्वीकार्यता की जांच बोर्ड के दिनांक 29.6.2001 के पत्र सं. ई(एमपीपी)2001/19/3, रिकॉमन्डेशन नं. 37 (आरबीई सं. 127/2001) के अनुसार गठित की गई समुचित स्तर की एक समिति द्वारा की जाएगी। ये समितियां इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को प्राप्त करने के लिए कठोर चयन प्रक्रिया अपनाएंगी। इस प्रकार के चयन के दिशा-निर्देशों में न केवल उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड का, बल्कि उस कार्य के लिए बेहतर प्रशिक्षण क्षमता और अभिरुचि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिए होन, पदाधिकारियों द्वारा अपने विभिन्न कार्यों में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण देने में ली गई रुचि की उत्सुकता और प्रशिक्षण से संबंधित पदों पर उन्हें निर्दिष्ट किए गए पूर्व कार्य, यदि कोई हो, में उनके कार्य-निष्पादन को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन अनुदेश को बोर्ड के दिनांक 11.03.2003 के पत्र सं. ई(एमपीपी)99/19/1/पार्ट (आरबीई सं. 49/2003) के साथ पढ़ा जाए। प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान और प्रशिक्षकों को यह भत्ता स्वीकृत करने से पूर्व उन्हें सुनिश्चित किया जाना चाहिए वे उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को अवश्य पूरा करें। जिन प्रशिक्षकों के बारे में समिति द्वारा संस्तुति नहीं की गई हो, उन्हें संबंधित मूल संवर्ग में वापस भेज दिया जाना चाहिए। तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को यह प्रशिक्षण भत्ता तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक उन्हें नियमित नहीं कर दिया जाता है।
5. ये आदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक स्क्रीनिंग नहीं कर ली जाती और योग्य न पाए गए फैकल्टी सदस्यों को उनके संबंधित मूल संवर्ग में वापस भेज नहीं दिया जाता, तब तक उन व्यक्तियों जिन्होंने फैकल्टी सदस्य के रूप में कार्य किया है, को उन्हें वापस भेजे जाने तक प्रशिक्षण भत्ता दिया जाए।
7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के पूर्व अनुमति के बिना रेलवे के पास कोई प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र चालू करने का कोई प्राधिकार नहीं है।
8. इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है और रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

  
 (अनुराधा सिंह)  
 निदेशक(एमपीपी)  
 रेलवे बोर्ड

सं. ई(एमपीपी)2013/3/18

नई दिल्ली, दिनांक 20.03.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें)/नई दिल्ली. (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, पूर्व तट रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे।
3. कार्यपालक निदेशक (वित्त), अ.अ.मा.सं./लखनऊ

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(एमपीपी)2013/3/18

नई दिल्ली, दिनांक 20.03.2015

प्रतिलिपि :

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित.
4. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
5. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फ़िरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
6. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

नवीन कृते सचिव/रेलवे बोर्ड